झारखण्ड सरकार
पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल)विभाग
(पंचायत राज निदेशालय)

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 –......269....................../ रांची, दिनांक –.......21/2/05......./

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001(झारखण्ड अधिनियम 06,2001) के अध्याय–2 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रकिया एवं कामकाज का संचालन) नियमावली, 2003 जिसके प्रारुप का प्रकाशन धारा 131 की उप धारा (1) के अपेक्षानुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाते हैं।

झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रकिया एवं कामकाज का संचालन) नियमावली, 2003

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(i) यह नियमावली ''झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रकिया एवं कामकाज संचालन) नियमावली, 2003'' कहलायेगी।

(ii) यह सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :–

इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, :–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 ;

(ख) ''बैठक'' से अभिप्रेत है, ग्राम सभा की बैठक ;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(घ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत का सचिव ;

(ङ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

3- अधिनियम की धारा 3 (iii) के प्रावधानानुसार साधारणतया प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये एक ग्राम सभा गठित की जायेगी अर्थात् ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये एक ग्राम सभा होगी, परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन नियम 4 में विहित प्रकिया के अनुसार किया जा सकेगा।

4. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रकिया :–

(i) निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा –

(क) आवास या आवासों के समूह के लिए

(ख) छोटे गांव या गांवों/टोलों का समूह

जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करता हो।

(ii) ग्राम सभा क्षेत्र के निवासी मतदाता जो अलग ग्राम सभा के गठन की इच्छा रखते हों, ग्राम सभा के गठन के संबंध में जिला गजट में अधिसूचना के एक माह के अन्दर संकल्प पारित कर विहित प्रपत्र–1 में आवेदन प्रस्तुत कर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त से उपनियम 4 (i) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में समाविष्ट क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा के गठन की प्रार्थना कर सकेंगे। एक माह के बाद प्राप्त आवेदन पर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त आमतौर पर विचार नहीं करेंगे, जब तक आवेदन पत्र के साथ विलम्ब का कारण न दर्शाया गया हो और दर्शाये गये कारण को जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त संतोषजनक पाते हैं।

(iii) **(क)** उपनियम 4 (ii) में विनिर्दिष्ट उल्लेखित प्रस्ताव या आवेदन प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त उपनियम 4 (i) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा गठन के आशय से एक सार्वजनिक सूचना प्रपत्र 2 में जारी करेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसी सूचना में प्रस्तावित नये ग्राम सभा में समाविष्ट होने वाले क्षेत्र तथा वर्तमान ग्राम सभा से अपवर्जित होकर शेष रह जाने वाले क्षेत्र तथा उसकी जनसंख्या का विवरण होगा।

(ग) ऐसी प्रत्येक सूचना में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा विचार किया जायेगा।

(घ) ऐसी प्रत्येक सूचना जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त के कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के सूचना पटल पर और ऐसे आशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थान पर चिपकवाकर तथा ढोल पीट कर प्रकाशित की जायेगी।

(ङ) जिला दण्डाधिकारी उपर्युक्त खण्ड (ग) में वर्णित प्रकिया के अनुसार प्रस्तुत ऐसी आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हो, तथा प्रस्तावित नये ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र में रहने वाले समुदाय तथा उनकी रुढ़ियों एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन पर निर्णय लेगा।

(च) नई ग्राम सभा के गठन के निर्णय लेने के उपरांत पूर्व के शेष ग्राम सभा क्षेत्र को भी ग्राम सभा के रुप में विनिर्दिष्ट माना जायेगा।

(iv) (क) जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त पृथक ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना प्रपत्र 3 में जारी करेगा जिसमें उस ग्राम सभा में आने वाले ग्राम/ग्रामों के नाम तथा उनका विवरण होगा। पुर्नगठित ग्राम सभाएँ आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आयेंगी।

(ख) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन नियम 4 के उपनियम (iii) के खण्ड (घ) में विहित रीति में किया जायेगा और उसकी एक प्रति जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त, जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी।

5. ग्राम सभा की बैठक :-

(क) ग्राम सभा की बैठक कम-से-कम तीन माह में एक बार होगी ;
परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर या पंचायत समिति, जिला परिषद् या जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किये जाने पर, ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा के तीस दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी ;

(ख) ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों की वैध संख्या के 1/10 (एक दशांस) सदस्यों की बैठक में उपस्थिति से कोरम पूर्ण पूरा हुआ मान लिया जायेगा। किन्तु कोरम के दशांस में से महिलाओं की उपस्थिति एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए ;

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या कोरम के लिए अनिवार्य है, किन्तु इन एक तिहाई सदस्यों की संख्या में भी एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि 1/3 (एक तिहाई) के गणित में एक का अंश सदस्य संख्या आती है तो उसे पूरा सदस्य गणना में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरुप यदि बैठक में सदस्यों की कुल संख्या 91 है तो एक तिहाई सदस्य से कम नहीं की पूर्ति करने के लिए 30.3 अर्थात पूर्ण संख्या 30 सदस्य एक तिहाई से कम होंगे, इसलिए 31 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है तथा इन 31 सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य की अर्थात् 11 महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ग) ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जायेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप-मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों हीं अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा,

परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उपमुखिया या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य नहीं हों, और उस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो या उनके द्वारा मनोनीत/समर्थित व्यक्ति हो।

परन्तु यह और कि जिस ग्राम सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता हो गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा अथवा यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्य हों तो ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मनोनीत/समर्थित ऐसे व्यक्ति और यदि अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हो तो ऐसे प्रस्तावित अथवा मनोनीत/समर्थित गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(घ) यदि बैठक हेतु निर्धारित किए गये समय पर कोरम के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को ऐसी आगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा, जैसा कि वह निश्चित करे तथा स्थगित बैठक की एक नई सूचना नियम 7. के अनुसार देगा और ऐसे स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी, परन्तु ऐसी बैठक में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ङ.) अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो या तो परम्परागत ग्राम प्रधान हो या उसके द्वारा प्रस्तावित स्थायी अध्यक्ष हो को संबंधित पंचायत समिति के सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी, ग्राम सभा की प्रथम बैठक के पूर्व शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा करायेगा। शपथग्रहण/प्रतिज्ञा संलग्न प्रपत्र 7 में कराया जायेगा। शपथग्रहण/प्रतिज्ञा करने वाले ग्राम सभा के अध्यक्षों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालय में संधारित की जायेगी।

6. बैठक की तारीख, समय तथा स्थान ।–

(क) ग्राम सभा के बैठक की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया द्वारा नियत किया जायेगा, मुखिया की अनुपस्थिति में उप–मुखिया द्वारा तथा मुखिया तथा उप–मुखिया दोनों की अनुपस्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत पंचायत समिति के सहायक सचिव द्वारा नियत किया जायेगा।

(ख) ग्राम पंचायत का मुखिया अधिनियम के अधीन नियमित समय के अन्तरालों पर बैठक बुलवाये जाने के लिए जिम्मेवार होगा। इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए उसे सतर्क और सावधान रहना चाहिए।

(ग) यदि मुखिया अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय अंतरालों पर बैठक बुलवाने में असफल रहता है तो संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मुखिया को अयोग्य करार करते हुए उसे पद से हटा दिया जायेगा, परन्तु मुखिया को अयोग्य करार करने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निरर्हित करने के आधार सहित कारण पृच्छा का युक्तियुक्त अवसर देना होगा तथा लापरवाही या उपेक्षा जिसमें कुछ संदोष या आपराधिक त्रुटि उत्पन्न हो, वह देखना होगा।

7. बैठक की सूचना देने की रीति ।–

(क) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और व्यवहार किए जाने वाले कारबार को विनिर्दिष्ट करते हुए बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–4 में दी जाएगी, परन्तु आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा की बैठक पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना देकर भी बुलायी जा सकेगी।

(ख) बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामों में सहजदृश्य/सार्वजनिक स्थानों पर और ग्राम पंचायत के कार्यालय पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जायेगा और ग्राम पंचायत क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवाकर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जायेगी।

8. ग्राम सभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण ।–

ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को, ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का, ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यावधि के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. बैठक के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां।–

(क) यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष के आदेशों का जो अधिनियम के अधीन दायित्वों के निर्वहन या कियान्वयन करने के कम में पंचायत के सचिव के कृत्यों में आते हैं,

उन्हें यह पालन नहीं करता है तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी से उसपर नियंत्रण करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(ख) यदि राज्य सरकार अपने विवेक पर पंचायत के कार्यकलापों की जांच करती है, तब जाँचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष लिखित में अध्यक्ष समस्याओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कर्तव्यों के पालन में अमूक बाधाऐं हैं, जिनसे अधिनियम के उद्धेश्यों के अनुकूल कार्य होने में समस्या आ रही है।

(ग) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे संकर्मों के निष्पादन किये जाने का निर्देश दे सकेगा, जिसे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित में आवश्यक है। अधिनियम के अधीन पंचायतों के कार्य का निरीक्षण होने के समय लिखित में अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण कर्ता प्राधिकारी को ग्राम सभा संबंधी कठिनाईयां प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) बैठक में यदि कोई सदस्य अभद्रता से पेश आता है, आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मांगने से इंकार करता है या बैठक के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जान बूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या अध्यक्ष के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या अध्यक्ष द्वारा स्थान ग्रहण के लिए आदेशित किये जाने पर भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है तो वह सदस्य व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा तथा अध्यक्ष द्वारा ऐसी किसी भी सदस्य को बैठक से तुरंत निकल जाने का निदेश दे सकेगा और इस प्रकार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई सदस्य तुरंत ऐसा करेगा और उस दिन की बैठक की शेष अवधि के दौरान अनुपस्थित रहेगा।

(ङ) अध्यक्ष बैठक में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

10. बहुमत द्वारा विनिश्चय ।–

(क) ग्राम सभा की बैठक में लाए गये समस्त विषय उपस्थित सदस्यों की बहुमत से विनिश्चत किए जाऐंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। मतों की समानता की दशा में बैठक के अध्यक्ष को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) यदि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. ग्राम सभा की बैठक का संचालन ।–

(क) ग्राम सभा की बैठक का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की प्रकिया विनिश्चित किया जायेगा।

(ग) बैठक में लिए गये निर्णयों को संक्षिप्त जानकारी के लिए पढ़कर सुनाया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उसी के अनुसार विनिश्चयों को कार्यवाही पंजी में अभिलिखित करेगा।

12. उपस्थिति पंजी ।–

ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्रपत्र 5 में रखे गये उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जायेंगे।

13. कार्यवाही अभिलेख ।–

(क) ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की, कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवाही पंजी में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 6 में प्रविष्टि किया जायेगा और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी।

(ख) कार्यवाही हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी।

(ग) ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

(घ) ग्राम सभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी अथवा करायेगी।

14. ग्राम कोष ।–

(क) ग्राम सभा की निधि में शामिल कोष में ग्राम को प्राप्त होने वाले दान, प्रोत्साहन राशि एवं अन्य आय सम्मिलत किये जायेंगे,

(ख) ग्राम कोष का संचालन संबंधित ग्राम सभा द्वारा बहुमत से मनोनीत एक ग्राम सभा कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा के कोषाध्यक्ष की यह जिम्मेवारी होगी कि वे ग्राम सभा की निधि को सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अधीन ग्राम सभा के क्षेत्र या सबसे नजदीक के राष्ट्रीयकृत बैंक की बचत खाता में रखेगा। यह बचत खाता संबंधित ग्राम सभा के नाम से होगा।

(ग) ग्राम कोष में जमा धन का लेखा एक रजिस्टर में रखा जायेगा तथा उक्त रजिस्टर में ग्राम सभा के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव का हस्ताक्षर होगा। उक्त रजिस्टर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव की अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(घ) ग्राम कोष के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम सभा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(ड़) ग्राम कोष में जमा धन का उपयोग राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में अधिनियम की धारा 10 में वर्णित कृत्यों के लिए किया जायेगा।

(च) ग्राम सभा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से एक वर्ष का होगा, परन्तु इस बीच मृत्यु, त्यागपत्र या अनर्हता या उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, आकस्मिक रिक्ति होने पर उप नियम– (ख) के अनुसार कोषाध्यक्ष का मनोनयन किया जायेगा।

(छ) ग्राम सभा के साधन के विभिन्न स्त्रोतों एवं इसके वर्हिगमन तथा भारत के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक के विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रकिया के तहत लेखा का संधारण किया जायेगा।

15. ग्राम सभा के स्थायी समिति की गठन एवं बैठक की प्रकिया ।–

(क) ग्राम सभा, अधिनियम द्वारा दिये गये कृत्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन एवं सुविधा के दृष्टिकोण से अपने सदस्यों में से अधिनियम में वर्णित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।

(ख) ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति में चार सदस्य होंगे जो इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा द्वारा विशिष्टतः बुलाये गये बैठक में सदस्यों द्वारा अपने बीच में से बहुमत द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। इन चार सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रुप में मनोनीत किया जायगा।

(ग) ग्राम सभा की प्रत्येक स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल बैठक में मनोनीत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, परन्तु पुर्ननिर्वाचन का पात्र होगा।

(घ) ग्राम सभा के स्थायी समितियों के सदस्यता के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

(ड.) ग्राम सभा की किसी स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अनर्हता या उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति को उप नियम (ख) में वर्णित रीति में यथाशक्य शीघ्रता से भरी जायेगी।

(च) ग्राम सभा के प्रत्येक स्थायी समिति का एक सचिव होगा जो उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जायेगा, परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों के बीच का ही होगा, तथा उसका कार्यकाल उसकी सदस्यता की अवधि तक रहेगा।

(छ) साधारणतः कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक ग्राम सभा क्षेत्र के अन्दर जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करनेवाली व्यक्ति द्वारा निर्धारित होगी, स्थान पर माह में कम से कम एक बार ऐसी तारीख एवं समय पर होगी जैसा कि ग्राम सभा के अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाय।

(ज) बैठक की सूचना बैठक की तारीख से पूरे तीन दिन पूर्व उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाले कामकाज दर्शाते हुए समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी और ग्राम सभा के क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

(झ) इस प्रकार के बैठक की तारीख नियत करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अन्य स्थायी समितियों के बैठक की तारीखों से टकराव न हो।

(ट) स्थायी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति(कोरम) तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी। यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो तो समिति के सभापति बैठक को ऐसी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा नियत किया जाय तथा इस प्रकार नियत किए गए बैठक की सूचना ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जायेगी तथा इस प्रकार स्थागित किए गये बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक न होगी तथा ऐसे बैठक में कोई नया विषय विचारार्थ नहीं लाया जायेगा।

(ठ) स्थायी समिति के किसी बैठक के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा। मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति का निर्णायक मत होगा।

(ड) स्थायी समिति मुख्यतया केवल उनको सौंपे गये मामलों के संबंध में ही विनिश्चय करेगी। यदि मामले में वित्तीय पहलू अंतर्ग्रस्त है तो वह उस मामले को अपनी सिफारिश के साथ आगे और विचारार्थ ग्राम सभा को निर्दिष्ट करेगी। जहाँ कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो, वहाँ वह विनिश्चय के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जायेगा।

(ढ.) स्थायी समितियों में से प्रत्येक स्थायी समिति के बैठक की कार्यवाहियां, इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित की जाऐंगी। बैठक का सभापति, बैठक की समाप्ति होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र कार्यवृत पुस्तक पर हस्ताक्षर करेगा। कार्यवृत पुस्तिका स्थायी समिति के समक्ष विचारण के लिए उसके अगले बैठक में रखी जायेगी जब तक कि इस बीच ग्राम सभा के बैठक में उसकी पुष्टि न कर दी जाय।

(ण) स्थायी समिति की कार्यवाहियां स्थायी समिति के बैठक के पश्चात् किए गए अगले बैठक में ग्राम सभा के समक्ष रखी जाऐंगी। ग्राम सभा ऐसे बैठक में स्थायी समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा निदेश दे सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझें।

16. कठिनाईयों को दूर करना ।–

यदि इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर के अपेक्षानुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी, जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो।

प्रपत्र – 1

(नियम 4(ii) देखिये)

ग्राम सभा विनिर्दिष्ट करने हेतु आवेदन पत्र

सारणी

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	प्रस्तावित ग्राम सभा के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम/टोलो का नाम	जनसंख्या	नया ग्राम सभा बनाने का औचित्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 2

(नियम 4 (iii) देखिये)

<u>सूचना</u>

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) नियमावली, 2003 के नियम 4 (iii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के भीतर कॉलम 4 में वर्णित (ग्रामों/ग्रामों के समूह/टोलों एवं टोलों के समूह आदि) के लिए अलग ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है।

उन आपत्तियों/सुझावों पर, जो दिनांक ....तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होंगे, विचार किया जायेगा। उक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिनांक .... को कार्यालय में सुनवाई की जायेगी।

<u>सारणी</u>

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम सभा में शामिल क्षेत्र	प्रस्तावित ग्राम सभा में शामिल क्षेत्र	अवशेष क्षेत्र	जनसंख्या	थाना संख्या	अन्य विवरणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

स्थान –

जारी करने की तारीख –

जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त

प्रपत्र – 3

(नियम 4 (iV) देखिये)

अधिसूचना

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत झारखण्ड ग्राम सभा (गठन, बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन) नियमावली, 2003 के नियम 4 (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कॉलम 5 में वर्णित क्षेत्र के लिए अलग ग्राम सभा का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आऐंगी :

सारणी

प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम सभा का नाम	राजस्व ग्राम	सम्मिलित ग्रामों के नाम	ग्राम की जनसंख्या	मुख्यालय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

स्थान –
जारी करने की तारीख –

जिला दण्डाधिकारी / उपायुक्त

प्रपत्र – 4

(नियम – 7 (क) देखिये)

<u>ग्राम सभा की बैठक की सूचना</u>

ग्राम सभा .... के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक तारीख .... को निम्नलिखित ग्राम ....के स्थान .... पर होगा।

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बैठक बुलाने वाला प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर